

पालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

राजस्थान अधिकाारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

दस्ता नम्बर:-64/2019 प्रार्थना पत्र

गोपीलाल पिता छगना बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थी

बनाम

श्री उदा पिता छगना बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री सी पति बंशीलाल माली, उम्र बालिग निवासी गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री नारायण पिता रूपा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री सोहन पिता छगना बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री मथुरा पिता लेहरू बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री रामनाथ पिता जस्सा बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री भैरू पिता डालू बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री मूला पिता छागना बलाई, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री राजू पिता रामलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री शंकर पिता रूपा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री सोहन पिता रूपा गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-22.3.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामपुरिया पटवार तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 523/3, 586/2, 766/720, 765/554 कुल कित्ता 3 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.2.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 12 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 12 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 2 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में
ः आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के
अनुसार किया जाकर ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित
भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी
पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस
होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये
तदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डबी)

आई.ए.एस.

उपसंचालक अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपसंचालक अधिकारी

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

